प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 03/2020 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 11.09.2020
निर्णय दिनांक - 23.09.2020

श्री हरीश कृपलानी पिता स्व. श्री आसुमल कृपलानी, ई-26एबी, प्रतापनगर, उदयपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री हरीश कृपलानी पिता स्व. श्री आसुमल कृपलानी, ई-26एबी, प्रतापनगर, उदयपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 03.09.2020 (दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा सही सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 2770 दिनांक 11.09.2020 से श्री हरीश कृपलानी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में वर्णित पत्र कार्यालय हाजा के संबंधित अभिलेख की जांच अनुसार दर्ज नहीं होना पाया गया है, साथ ही प्रस्तुत आवेदन में अंकित स्पीड पोस्ट न. ER534935346IN को भारतीय डाक विभाग की बेवसाईट पर भी सर्च किया गया जिस पर कोई सूचना नहीं दर्शायी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को भी पत्रांक 2470 दिनांक 17.08.2020 से अवगत कराया। प्रार्थी के आवेदन पर सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई अर्थात लोक सूचना अधिकारी विर्निष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे हैं।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 2868 दिनांक 16.09.2020 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित पत्र कार्यालय के अभिलेख अनुसार प्राप्त नहीं हुए है, न ही भारतीय पोस्टल विभाग की बेवसाईट पर स्पीड पोस्ट सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध हैं। वांछित सूचना/पत्र की जानकारी के अभाव में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र से मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में अवगत कराया गया अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री हरीश कृपलानी पिता स्व. श्री आसुमल कृपलानी, ई-26एबी, प्रतापनगर, उदयपुर

संभागीय आयुक्त, उदयपुर